इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2011—फाल्गुन 26, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2011

क्र. 7992 वि.स.-विधान-2011.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 17 मार्च 2011 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०११

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ३ का संशोधन.
४. धारा १३ का स्थापन.
५. धारा १४ का स्थापन.
६. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०११

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख ख) "औद्योगिक विकास केन्द्र" और "औद्योगिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो औद्योगिक गतिविधि के लिए विकसित तथा राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया हो;"

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, प्रथम परंतुक में, खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(पांच) अनुसूची-२ और अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा, एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में या तो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित उसी औद्योगिक विकास केन्द्र के भीतर या उसी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर कच्चे माल के रूप में उपभोग हेतु प्रवेश कराया जाता है;

(छह) अनुसूची-२ और अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई का ऐसा अर्द्धनिर्मित उत्पाद हो, जिसे मध्यवर्ती प्रसंस्करण या परिष्करण (फिनिशिंग) के लिए किसी भिन्न स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी औद्योगिक इकाई को अंतरित किया जाता है और ऐसे प्रसंस्करण या परिष्करण (फिनिशिंग) के पश्चात् अंतिम विक्रय योग्य उत्पाद के निर्माण हेतु मूल इकाई को वापस अंतरित किया जाता है;

(सात) अनुसूची-२ और अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाई के एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होने या विस्तारित होने के कारण, प्रवेश कराया जाता है,"

धारा १३ का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

"१३. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचाएं, जिसमें विवरणियों, निर्धारण, स्व निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर का भुगतान एवं वसूली, लेखा, कर के अपवंचन का पता चलाना तथा उसका निवारण, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराध तथा शास्तियों, और अन्य विविध मामलों से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी या व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत तथा देय प्रवेशकर, ब्याज या शास्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में समाविष्ट कर लिये गये हों और यह समझा जायेगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत उपबंधों के अधीन बनाये गये या जारी किये गये थे / जारी की गई थी जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट किए गए हैं.".

५. मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा १४ का स्थापन.

"१४. इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का प्रशासन, जहां तक कि वह व्यापारियों या व्यक्तियों से प्रवेश कर के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण से संबंधित है, वेट अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगा, और तद्नुसार वे प्राधिकारी जो वेट अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण करने और उसके संदाय का प्रवर्तन कराने के लिए तत्समय सशक्त हैं, इस अधिनियम के अधीन व्यापारी या व्यक्ति द्वारा देय प्रवेश कर का जिसके अन्तर्गत कोई ब्याज या शास्ति भी है, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और उसके संदाय को इस प्रकार प्रवर्तित कराएंगे मानो ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या वेट अधिनियम के उपबन्धों के, जो धारा १३ के अधीन व्यापारियों या व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत प्रवेश कर के संबंध में लागू किए गए हैं, अधीन देय कर या ब्याज या शास्ति उस अधिनियम के अधीन देयकर या ब्याज या शास्ति है और इस प्रयोजन के लिए वे उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.". कर का निर्धारण, संग्रहण आदि.

६. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-एक में,— अनुसूची-२ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"१.	(क) सभी प्रकार की इस्पात की छड़ों तथा एंगल्स को छोड़कर लोहा तथा इस्पात जैसा कि वह केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट है,	२
	(ख) सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें तथा एंगल्स	५";

(दो) अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (३) में, अंक "२" के स्थान पर, अंक "३" स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०११-१२ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट प्रवेश कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने और उद्योग संवर्धन नीति, २०१० को कार्यान्वित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) में समुचित संशोधित प्रस्तावित किए गए हैं. अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ अन्य उपबंधों का भी युक्तियुक्तिकरण किया जा रहा है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल : **राघवजी**
दिनांक : १० मार्च, २०११ भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा राज्य सरकार को औद्योगिक विकास केन्द्र और औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को अधिसूचित किये जाने संबंधी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.